रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 21, 2010/भाद्र 30, 1932

No. 528] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 21, 2010/BHADRA 30, 1932

IndiaCode

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 772(अ).— केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 96 की उपधारा (2) के खंड (lx) और खंड (lxi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म संरक्षण अपील अधिकरण (आवेदन और अपील) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**-(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) अभिप्रेत है ;

(ख) "नियम" से अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

3. **अधिकरण को अपील**-- (1) प्राधिकरण या रजिस्ट्रार के किसी आदेश या विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से तीन मास के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा, जिसको प्राधिकारी या रजिस्ट्रार के आदेश या विनिश्चय, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, अपील करने वाले ऐसे व्यक्ति को संसूचित कर दिया जाता है ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् अपील स्वीकार नहीं की जाएगी :

परंतु उपनियम (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् अपील स्वीकार की जा सकेगी, यदि अपीलार्थी अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि उसके पास विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था ।

(3) अधिकरण को की गई अपील के साथ प्राधिकरण या रजिस्ट्रार के आदेश या विनिश्चय की प्रति होगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है ।

4. **अपील के लिए आवेदन करने के लिए प्ररूप** अधिकरण को अपील करने के लिए आवेदन करने का प्ररूप इन नियमों की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगा ।

अनुसूची

आवेदन करने की रीति और अपील के प्ररूप

क्र0 सं0	पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा	शीर्षक	प्ररूप संख्यांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धारा 56 की उपधारा (1) का खंड (क)	किसी किस्म के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्राधिकरण या रजिस्ट्रार का आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध अपील ;	प्ररूप सं0 1
2.	धारा 56 की उपधारा (1) का खंड (ख)	किसी किस्म के किसी अभिकर्ता या किसी अनुज्ञप्तिधारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के संबंध में रजिस्ट्रार का आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध अपील ;	प्ररूप सं0 1
3.	धारा 56 की उपधारा (1) का खंड (ग)	फायदे में हिस्सा बंटाने के दावे के संबंध में प्राधिकरण का आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध अपील ;	प्ररूप सं0 1
4.	धारा 56 की उपधारा (1) का खंड (घ)	अनिवार्य अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण या अनिवार्य अनुज्ञप्ति के उपांतरण के संबंध में प्राधिकरण का आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध अपील ;	प्ररूप सं0 1
5.	धारा 56 की उपधारा (1) का खंड (ङ)	इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रतिकर के संदाय के संबंध में प्राधिकरण का आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध अपील ।	प्ररूप सं0 1

IndiaCode

पौधा किस्म संरक्षण अपील प्राधिकरण के समक्ष

प्ररूप सं0 1

..... से संबंधित प्राधिकरण या रजिस्ट्रार के आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 56 की उपधारा (1) के.....के अधीन अपील ।

(तीन प्रतियों में भरा जाए)

मामले का शीर्षक :
अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	दस्तावेजों का वर्णन	निर्भर	पृष्ठ (पृष्ठों) की सं0
1.			
2.			
3.			
4.			
			(अपीलार्थी के हस्ताक्षर)

IndiaCode

अधिकरण कार्यालय में प्रयोग के लिए

फाइल करने की तारीख
या
डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख
रजिस्ट्रीकरण सं0

(अधिकरण के प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

पौधा किस्म संरक्षण अपील अधिकरण के समक्ष

क.ख. (वर्णन करे जैसे पूरा नाम, राष्ट्रीयता, पता, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय.....)

अपीलार्थी

ग.घ.(वर्णन करें जैसे पूरा नाम, राष्ट्रीयता, पता, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और निवास या कार्यालय का पता जिस पर प्रतिवादी या प्रतिवादियों को नोटिस की तामील की जानी है । प्रत्येक प्रतिवादी के वर्णन कालानुक्रम में दिए जाने हैं)

विरुद्ध

प्रतिवादी

IndiaCode

अपील के ब्यौरे :

1. उस आदेश की विशिष्टियां जिसके विरुद्ध अपील की गई है :

(आदेश की विशिष्टियां उन ब्यौरों के साथ जैसे संख्यांक, तारीख और प्राधिकरण का नाम जिसने वह आदेश पारित किया जिसके विरुद्ध अपील की जाती है ।)

2. अधिकरण की अधिकारिता :

अपीलार्थी घोषणा करता है कि उस आदेश की विषय वस्तु जिसके विरुद्ध वह प्रतितोष चाहता है, अधिकरण की अधिकारिता के भीतर है ।

3. परिसीमा :

अपीलार्थी यह भी घोषणा करता है कि अपील पौधा किस्म संरक्षण अपील अधिकरण (आवेदन और अपील) नियम, 2010 में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि के भीतर है ।

4. मामले के तथ्य :

(यथा संभव स्वच्छतापूर्वक प्रत्येक विवाद्यक या तथ्य को पृथक पैरा में कर अंतर्विष्ट कालानुक्रम में रखते हुए तथ्यों का संक्षिप्त कथन करें ।)

5. विधिक उपबंधों के साथ अनुतोष के लिए आधार :

6. मामला किसी अन्य न्यायालय में पूर्व में फाइल नहीं किया गया है या लंबित नहीं है ।

अपीलार्थी यह और घोषणा करता है कि उसने मामले के संबंध में जिसकी बाबत यह अपील की गई है, किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के समक्ष पूर्व में कोई अपील, रिट याचिका या वाद फाइल नहीं किया था ।

(अपीलार्थी द्वारा पूर्व में किसी ऐसी अपील, रिट याचिका या वाद फाइल किए जाने की दशा में, वह प्रक्रम जिस पर यह लंबित है, और यदि विनिश्चित हो गई हो, तो उसके समर्थन में दिए जाने वाले उपाबंध की संख्या के संदर्भ के साथ विनिश्चयों की सूची दी जानी चाहिए ।)

7. वांछित अनुतोष :

ऊपर वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलार्थी निम्नलिखित अनुतोष (अनुतोषों) के लिए प्रार्थना करता है :--

(ऐसे अनुतोष (अनुतोषों) के आधार और विधिक उपबंधों, यदि किन्ही पर निर्भर हों, का वर्णन करते हुए वांछित अनुतोष विनिर्दिष्ट करें)

8. संलग्नकों की सूची :

1.
2.
3.
4.

9. इन कार्यवाहियों से संबंधित सभी संसूचनाऐं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :--

.....
.....
.....

सत्यापन

मैं,.....(अपीलार्थी का नाम) आयु.....नागरिकता.... निवासी.....सत्यापित करता हूं कि पैरा.....से पैरा..... तक मेरे निजी ज्ञान के अनुसार सत्य हैं और पैरा.....से पैरा..... तक मैं विधिक सलाह आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूं तथा मैंने कोई तात्विक तथ्य नहीं छिपाया है ।

तारीख.....20.....

स्थान :

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षरी का पूरा नाम)

सेवा में,

.....
.....

3710 GI)10-2

IndiaCode

पौधा किस्म संरक्षण अपील अधिकरण के समक्ष

प्ररूप सं0 2

.....के अधीन अपील फाइल करने में हुए विलंब के लिए माफी देने हेतु छूट के लिए आवेदन

(मामले के कथन की तीन प्रतियों के साथ तीन प्रतियों में फाइल किया जाए)

..... प्राधिकरण या रजिस्ट्रार के आदेश या विनिश्चय के मामले में

मैं/हम अपील फाइल करने में हुए विलंब के लिए माफी देने के लिए आवेदन करते हैं ।

यह आवेदन करने के आधार संलग्न कथन में दिए गए हैं ।

(अपीलार्थी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित पृथक शीट पर सलंग्न किया जाए)

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाऐं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :-

.....
.....
.....
.....

तारीख
स्थान :

अपीलार्थी के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षरी का पूरा नाम)

सेवा में,

.....
.....
.....

[फा. सं. 1-4/2009-एसडी. V]
उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)
NOTIFICATION
New Delhi, the 21st September, 2010

G.S.R. 772(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (lx) and (lxi) of sub-section (2) of section 96 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Plant Varieties Protection Appellate Tribunal (Applications and Appeals) Rules, 2010.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
(a) "Act" means the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001);
(b) "rules" means rules made under the Act.
(2) words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Appeals to the Tribunal. – (1) Any person aggrieved by an order or decision of the Authority or Registrar may prefer an appeal to the Tribunal within three months from the date on which the order or decision of the Authority or Registrar sought to be appealed against is communicated to such person preferring the appeal.

(2) No appeal shall be admitted if it is preferred after the expiry of the period referred to in sub-rule (1):

Provided that an appeal may be admitted after the expiry of the period referred to in sub-rule (1), if the appellant satisfies the Tribunal that he or she has sufficient cause for not preferring the appeal within the specified period.

(3) A copy of the order or decision of the Authority or Registrar appealed against shall accompany an appeal to the Tribunal.

4. Forms for making application for appeal. - The form of making applications for appeal to the Tribunal shall be as specified in the Schedule to these rules.

SCHEDULE

MANNER OF MAKING APPLICATION AND FORMS FOR APPEAL

Sl. No.	Section of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001	Title	Form Number
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Clause (a) of sub-section (1) of section 56	Appeal against order or decision of Authority or Registrar, relating to registration of variety;	Form No.1
2.	Clause (b) of sub-section (1) of section 56	Appeal against order or decision of the Registrar relating to registration as an agent or a licensee of a variety;	Form No.1
3.	Clause (c) of sub-section (1) of section 56	Appeal against order or decision of the Authority relating to claim for benefit sharing;	Form No.1
4.	Clause (d) of sub-section (1) of section 56	Appeal against order or decision of the Authority regarding revocation of compulsory licence or modification of compulsory licence;	Form No.1
5.	Clause (e) of sub-section (1) of section 56	Appeal against order or decision of the Authority regarding payment of compensation, made under the Act or rules made thereunder.	Form No.1

BEFORE THE PLANT VARIETY PROTECTION APPELLATE TRIBUNAL

FORM No. 1

APPEAL UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 56_____ OF THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001 FILED AGAINST ORDER OR DECISION OF AUTHORITY OR REGISTRAR RELATING TO _____

(To be filed in triplicate)

Title of the Case:

INDEX

Sl. No.	Description of documents	Relied upon	No. of Page(s)
1.			
2.			
3.			
4.			
			(Signature of the Appellant)

IndiaCode

For use in the Tribunal Office

Date of filing

Or

Date of receipt by post

Registration No.

(Signature of the authorized official of Tribunal)

3710 GI/10-3

BEFORE THE PLANT VARIETY PROTECTION APPELLATE TRIBUNAL

A.B. (add description such as full name, nationality, address, registered office...)

APPELLANT

C.D. (Add description such as full name, nationality, address, registered office and the residential or official address on which the service of notices is to be effected on the respondent or respondents. The details of each respondent are to be given in a chronological order).

Vs.

RESPONDENT

DETAILS OF APPEAL:

1. Particulars of the order against which the appeal is made:
(Particulars of the order giving the details like the number, date and Authority, which has passed the order against which the appeal is made.)

2. Jurisdiction of the Tribunal:

The appellant declares that the subject matter of the order against which he wants redressal is within the jurisdiction of the Tribunal.

3. Limitation:

The appellant further declares that the appeal is within the period of limitation specified in the Plant Varieties Protection Appellate Tribunal (Applications and Appeals) Rules, 2010.

4. Facts of the case:

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing a separate issue or fact as neatly as possible.)

5. Grounds for relief with legal provisions:

6. Matters not previously filed or pending with any other court:

The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit before any court or any other authority regarding the matter in respect of which this appeal has been made.

(In case the appellant had previously filed any such appeal, writ petition or suit, the stage at which it is pending, and if decided, the list of the decisions should be given with reference to the number of Annexure to be given in support thereof.)

7. Relief(s) sought:

In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s): -

(Specify the relief(s) sought explaining the grounds for such relief(s) and the legal provisions, if any relied upon).

8. List of enclosures:

1.
2.
3.
4.

9. All communications relating to these proceedings may be sent to the following address in India: -

IndiaCode

VERIFICATION

I, _____(Name of the appellant) age_____ of _____nationality, resident of _____do hereby verify that the contents of para _____to _____are true to my personal knowledge and para _____to _____are believed to be true on legal advice and that I have not suppressed any material fact.

Dated, this _____day of _____20____.

Place:

Signature of the Appellant

(Full name of the Signatory)

To

BEFORE THE PLANT VARIETY PROTECTION APPELLATE TRIBUNAL

FORM No. 2

APPLICATION FOR LEAVE TO CONDONE THE DELAY IN FILING APPEAL UNDER_____

(To be filed in triplicate together with statement of case in triplicate)

In the matter of order or decision of the Authority or Registrar in _____

I/We hereby apply for leave to condone the delay in filing the appeal.

The grounds for making this application are set forth in the accompanying statement.

(To be enclosed on separate sheet duly signed by the applicant)

All communications relating to this application may be sent to the following address in India: -

Dated this _____ _____of _____

Place:

Signature of the Applicant

(Full name of the Signatory)

To

[F. No. 1-4/2009-SD. V]
UPMA CHAWDHRY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.